प्रदेश में दवा के लिए कच्चे माल की उपलब्धता होगी आसान

अमर उजाला ब्यूरो

लखनऊ। प्रदेश में दवा के लिए कच्चे माल तैयार करने वाली कंपनियों को कई तरह की सहूलियतें मिल सकेंगी। इन कंपनियों को प्रदेश में निवेश करने पर स्टांप ड्यूटी छूट व कैपिटल सब्सिडी में प्रोत्साहन के साथ ही नए शोध व पेटेंट में सुविधाएं दी जाएंगी। इससे संबंधित प्रस्ताव को बृहस्पतिवार को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन मंजूरी दी गई।

उप्र फार्मास्यूटिकल उद्योग नीति 2021 पहले औद्योगिक विकास विभाग के पास थी। इसमें कुछ बदलाव करके लागू करने की जिम्मेदारी खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग को दी गई है। इस नीति के तहत तैयार की गई

खाद्य सुरक्षा व औषधि प्रशासन विभाग को सौंपी फार्मास्यूटिकल उद्योग नीति

नियमावली में कच्चा माल तैयार करने वालों को कई सहूलियतें देने का प्रावधान किया गया है। कच्चे माल के रूप में एक्टिव फार्मास्यूटिकल इनग्रेडिएंट निर्माण करने वाली कंपनियों एवं ड्रग इंटरमीडिएट का निर्माण करने वाली कंपनियों को राहत दी जाएगी। इसके पीछे तर्क है कि प्रदेश में जब कंपनियां ज्यादा से ज्यादा कच्चा माल तैयार करेंगी तो चीन से आयात कम होगा। साथ ही यहां की कंपनियां दूसरे प्रदेश को भी कच्चा माल उपलब्ध करा सकेंगी।

प्रतिवर्ष अधिकतम एक करोड़ की सब्सिडी

अब नई नीति के तहत प्रति फार्मा पार्क प्रतिवर्ष एक करोड़ रुपये की अधिकतम सब्सिडी दी जाएगी। इसके तहत 7 वर्ष के लिए भूमि खरीदने के लिए लोन लेने पर वार्षिक ब्याज में 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। इसी तरह निजी फार्मा को बुनियादी उपयोगिता विकसित करने पर कुल मूल्य का 15 प्रतिशत और अधिकतम 15 करोड़ रुपये की छूट दी जाएगी। इससे सड़क पार्क, ड्रेनेज आदि विकसित किया जाएगा।

फार्मास्यूटिकल इकाइयों के प्रोत्साहन की भी व्यवस्था

अब फार्मास्यूटिकल इकाइयों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिवर्ष 10 लाख रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। यह मशीनरी की खरीद पर लिए गए लोन पर प्रतिपूर्ति के रूप में दी जाएगी। इसके तहत 5 साल के ब्याज राशि का 50 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी। इसी तरह उद्योग अनुसंधान सब्सिडी के तहत शोध की गुणवत्ता सुधारने और उत्पाद विकास के लिए प्रयोगशालाओं की स्थापना के लिए मशीनरी और उपकरण खरीदने पर भी सहूलियतें दी जाएगी। यह सहूलियत उपकरण खरीद पर लिए गए लोन पर लगने वाले ब्याज राशि में 50 फीसदी की सब्सिडी दी जाएगी।